



नमाज़ी के आगे से गुज़रने के मसाइल

सफ़्हात : 29

- नमाज़ी के आगे से गुज़रना क्यूं मना है ? (06)
- नमाज़ी की तरफ़ मुंह करना कैसा ? (09)
- सुतरा (Barrier, Sutra) किसे कहते हैं ? (11)
- सुतरा रखने का दुरुस्त तरीका (19)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتِمِ النَّبِيِّنَّ ط
مَا بَعْدُ ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

नमाज़ी के आगे से गुज़रने के मसाइल

दुआए अन्तार : या अल्लाह पाक ! जो कोई 29 सफ़हात का रिसाला “नमाज़ी के आगे से गुज़रने के मसाइल” पढ़ या सुन ले उस को और उस की नस्तों को पक्का नमाज़ी और सच्चा आशिक़े रसूल बना कर मां बाप समेत बे हिसाब बख़्श दे ।

اٰمِيْنَ بِجَاہِ خَاتِمِ النَّبِيِّنَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी, मक्की मदनी मुहम्मदे अरबी صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने नमाज़ के बाद हम्दो सना और दुरूद शरीफ़ पढ़ने वाले से फ़रमाया : “दुआ मांग ! क़बूल की जाएगी, सुवाल कर ! दिया जाएगा ।”

(नसائی، ص 220، حدیث: 1281 مختصراً)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰهُ عَلَی مُحَمَّدٍ

अमल की इमारत गिरा दी

सहाबिए रसूल, हज़रते अबू दर्दा رَضِیَ اللّٰهُ عَنْہُ ने (नमाज़ के दौरान) अपने आगे से गुज़रने वाले एक शाख्स से (नमाज़ के बाद) फ़रमाया : तुम्हें ऐसा करने पर किस चीज़ ने उभारा ? उस ने अर्ज़ की : मैं ने क्या किया है ? (शायद उन को नमाज़ी के आगे से गुज़रने का गुनाह होना मालूम न था) हज़रते अबू दर्दा رَضِیَ اللّٰهُ عَنْہُ ने इरशाद फ़रमाया : तुम अपने भाई की नमाज़ के सामने से गुज़रे हो और तुम ने अपने एक या दो साल के अमल की इमारत गिरा दी है । (तारिख़ ابن عساکر، 35/355)

प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! नमाज़ी के आगे से बग़ैर सुतरे (यानी कोई ऐसी चीज़ जिस से रुकावट हो जाए) के गुज़रना चन्द सूरतों के इलावा सख्त गुनाह का काम है। अफ़सोस ! आज कल इस मुआमले में बेहद कोताही देखी जा रही है। बाज़ समझदार नज़र आने वाले भी इस गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। बा जमाअत नमाज़ पढ़ने के बाद बाज़ नादान जल्दी से पीछे निकलने की वजह से जमाअत के साथ दुआ मांगने और क़बूलियते दुआ के इस अहम मौक़े को छोड़ कर बक्रिय्या नमाज़ पढ़ने वालों के आगे से बे धड़क गुज़र जाते हैं। कुछ लोग कन अंखियों (यानी तिरछी नज़रों) से देख कर अपने दिल को मना लेते हैं कि मैं आगे से नहीं गुज़र रहा हूँ। हालांकि बारहा नमाज़ी के आगे से गुज़रने की ही सूरत बन रही होती है। नमाज़ी के आगे से गुज़रना कैसा ख़ौफ़नाक गुनाह है इस का अन्दाज़ा अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आख़िरी नबी, मक्की मदनी मुहम्मदे अरबी صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के इन इरशादाते मुबारका से लगाइए :

“सब्र कर” के पांच हुरूफ़ की निस्बत से नमाज़ी के आगे से गुज़रने के बारे में 5 फ़रामीने आख़िरी नबी

﴿1﴾ अगर नमाज़ी के सामने से गुज़रने वाला जान लेता कि उस पर क्या गुनाह है तो उस के लिए चालीस (साल) तक ठहरना सामने गुज़रने से बेहतर होता।

(بخاری، 1/189، حدیث: 510 مختصراً)

﴿2﴾ जान बूझ कर नमाज़ी के आगे से गुज़रने से बेहतर है कि आदमी राख हो और हवाएं उसे उड़ाती फ़िरें।

(التّحفید لابن عبد البر، 8/478، تحت الحدیث: 596)

﴿3﴾ अगर कोई जानता कि अपने भाई के सामने नमाज़ में आड़े हो कर गुज़रने में क्या है तो 100 साल खड़ा रहना एक कदम चलने से बेहतर समझता।

(ابن ماجه، 1/506، حدیث: 946)

«4» बेशक जो जान बूझ कर किसी नमाज़ पढ़ने वाले के सामने से गुज़रता है क्रियामत वाले दिन वोह तमन्ना करेगा कि मैं कोई सूखा हुवा दरख्त होता ।

(مُعْتَمَدٌ كَبِيرٌ، 14/106، حدیث: 14724)

«5» अगर नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाला जानता कि उस पर क्या गुनाह है तो वोह अपनी रान के टूट जाने को सामने से गुज़रने से बेहतर जानता ।

(مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، 2/537، حدیث: 2928)

ऐ अल्लाह पाक ! हमें नमाज़ी के आगे से गुज़रने और हर तरह के गुनाह से हमेशा महफूज रख ।
اٰمِيْنَ بِجَاوِزَاتِهِمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ।

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाला शैतान है

नमाज़ पढ़ने वाले के आगे से गुज़रने के बारे में सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان वगैरा के अक्वाल भी पढ़ लीजिए । मुसलमानों के दूसरे खलीफ़ा, हज़रते उमर फ़ारूके आजम رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ने इरशाद फ़रमाया : दौराने नमाज़ जो तुम्हारे सामने से गुज़रे तो उसे न छोड़ो क्योंकि उस के साथ शैतान होता है ।

(مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، 2/14، حدیث: 2348)

सहाबिए रसूल हज़रते अबू सईद खुदरी رَضِيَ اللهُ عَنْهُ फ़रमाते हैं कि हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इस का हुक्म दिया है कि जब तुम में से कोई शख्स किसी ऐसी चीज़ की तरफ़ रुख कर के नमाज़ पढ़े जो उसे लोगों के गुज़रने से बचाने के लिए सुतरा हो, फिर कोई शख्स उस के सामने से गुज़रना चाहे तो वोह उसे रोक दे अगर वोह न रुके तो उस का मुक्काबला करे, क्योंकि वोह शैतान है ।

(بخاری، 1/189، حدیث: 509)

शारेहे बुखारी हज़रते अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ इस हदीसे पाक की शरह में लिखते हैं : “इस हदीस का मतलब येह है कि शैतान उस शख्स को

नमाज़ी के आगे से गुज़रने पर उभारता है और येह भी मुम्किन है कि यहां गुज़रने वाले शख्स ही को शैतान कहा गया हो क्यूँकि शैतान जिन्नात में भी होता है और इन्सानों में भी, और हर सरकश व ना फ़रमान इन्सान को शैतान कहना आम है।”

(عمدة القاری، 3/590، تحت الحديث: 509)

हज़रते सय्यिदुना इमाम शरफ़ुद्दीन नववी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ हदीसे पाक के इस हिस्से “तो वोह उसे रोक दे” के बारे में फ़रमाते हैं कि येह मुस्तहब है और आगे से गुज़रने वाले को दूर करने या अपने नमाज़ में होने का बताने के लिए तस्बीह पढ़े या इशारा करे। नमाज़ में लड़ाई हरगिज़ न करे क्यूँकि इस से नमाज़ टूट जाने का डर है। हदीसे पाक में जो फ़रमाया गया है : “अगर सामने से गुज़रने वाला न रुके तो उस का मुकाबला करे” येह मुबालगे के लिए है, (इस का येह मतलब हरगिज़ नहीं कि इस से वाक़ेई लड़ाई करे)। (شرح المسلم للنووی، 4/223، مستطاب نزہة القاری 2/195 ما غوذاً)

नमाज़ी के सामने सुतरा नहीं और कोई शख्स गुज़रना चाहता है या सुतरा है मगर वोह शख्स नमाज़ी और सुतरे के दरमियान से गुज़रना चाहता है तो नमाज़ी को रुख़सत (यानी इजाज़त) है कि उसे गुज़रने से रोके, चाहे तस्बीह (यानी سُبْحَانَ اللهِ) कह कर या बुलन्द आवाज़ के साथ क़िराअत करे (यानी दो कलिमे की इजाज़त है) या हाथ, या सर, या आंख के इशारे से मना करे, इस से ज़ियादा की इजाज़त नहीं, मसलन कपड़ा पकड़ कर झटकना या मारना, बल्कि अगर अमले कसीर हो गया तो नमाज़ टूट जाएगी। (روا المختار، 2/486) बिला ज़रूरत तस्बीह और इशारा दोनों करना मकरूह (यानी ना पसन्दीदा काम) है।

(बहारे शरीअत, 1/617, हिस्सा : 3 मुख़ख़सन)

हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : दीनी कामों में ख़लल डालने वाला सख़्त मुजरिम है लिहाज़ा जो लोग मस्जिदों के पास शोर

मचाएं, रेडियो के गाने लगाएं वोह इस से इब्रत पकड़ें कि नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाला इस लिए मुजरिम है कि नमाज़ी का ध्यान बांटता है। (मिरआतुल मनाजीह, 2/5)

ज़मीन में धंसना बेहतर मगर...

(ताबेई बुज़ुर्ग) हज़रते कअबुल अहबार رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाला अगर जानता कि उस में कितना गुनाह है तो ज़मीन में धंस जाने को गुज़रने से बेहतर जानता। (مَوْطَأُ مَالِك، 1/153، حديث: 371)

मुफ़्ती अहमद यार ख़ान नईमी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : येह सारी वईदें (यानी सज़ा देने के वादे) (नमाज़ी के) आगे (से) गुज़रने से रोकने के लिए हैं। अगर इस (यानी नमाज़ी के आगे से गुज़रने) के अज़ाब से पूरी वाक़िफ़ियत होती तो हर शख्स येह चाहता कि ज़मीन फट जाए, मैं (उस में) समा जाऊंगा मगर नमाज़ी के आगे से न गुज़रूं, यहां गुज़रने की वोही सूरत मुराद है जो ना जाइज़ है, जिन सूरतों में शरीअत ने गुज़रने की इजाज़त दी है वोह उस से अलाहदा है।

(मिरआतुल मनाजीह, 2/10 मुल्लतक़तन)

हर गुनह से बचा मुझ को मौला नेक ख़स्लत बना मुझ को मौला तुझ को रमज़ान का वासिता है या ख़ुदा तुझ से मेरी दुआ है

(वसाइले बख़्शिश, स. 135)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد

जमाअत ख़त्म होते ही फ़ौरन पीछे जाने वाले ग़ौर करें

प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! मसाजिद में येह मनाज़िर देखे जाते हैं कि जमाअत का सलाम फिरते ही नमाज़ियों की एक बड़ी तादाद पीछे निकलने के लिए उठ खड़ी होती है। रास्ता न होने या तंग होने के सबब बक्रिय्या नमाज़ पढ़ने वाले तश्वीश में पड़ जाते होंगे। नमाज़ में ख़ुशूओ ख़ुजूअ (यानी ज़ाहिरी व बात़िनी

आजिजी) आना तो दूर की बात नमाज़ पूरी करना भी मुश्किल हो जाता होगा, बारहा ऐसे रश वाले माहौल में नमाज़ पढ़ने वालों को धक्के भी लग जाते हैं। लिहाज़ा पीछे जाने वालों की खिदमत में दस्त बस्ता गुज़ारिश है कि सब्रो तहम्मूल का मुज़ाहरा करते हुए अपनी जगह पर ही बक्रिय्या नमाज़ अदा फ़रमा कर पीछे जाएं, उम्मीद है उस वक़्त तक पीछे जाने की जगह भी बन जाएगी। अगर पीछे जाना ज़रूरी हो तो बक्रिय्या नमाज़ पढ़ने वालों का खयाल रखते हुए सुतरे के आगे से गुज़रें।

नमाज़ी के आगे से गुज़रना क्यूं मना है ?

हज़रते अल्लामा अब्दुर्हमान जौज़ी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : नमाज़ी के आगे से गुज़रना सिर्फ़ इस वजह से मकरूहे तहरीमी (यानी नाजाइज़ व गुनाह) है कि गुज़रने वाला नमाज़ी और इस के मक्सूद के दरमियान रुकावट डालने वाले की तरह है और जब वोह नमाज़ी के आगे से गुज़र रहा होता है तो गोया ऐसा होता है जैसे वोह भी इबादत से मक्सूद है और गुज़रने वाला नमाज़ी की तवज्जोह मुन्तशिर करता है। इन बातों की वजह से नमाज़ी के आगे से गुज़रना नाजाइज़ो गुनाह है।

(كشف المشكل من حديث الصحيحين، 2/158)

हज़रते सय्यिदुना इमाम शरफ़ुद्दीन नववी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ उलमाए किराम के हवाले से लिखते हैं : सुतरा रखने में हिकमत सुतरे के पीछे जो भी है उस से निगाह को रोकना और अपने करीब से गुज़रने वाले को मना करना है।

(شرح مسلم للنووي، 4/216)

मौला से अपने मिलता है बन्दा नमाज़ में

अज़ीम ताबेई बुजुर्ग हज़रते अबुल आलिया رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ने इरशाद फ़रमाया : “बेशक इन्सान जब नमाज़ पढ़ता है तो उस के सामने एक फ़िरिश्ता

होता है, जो नमाज़ी कहता है वोह लिख लेता है और उसे येह पसन्द नहीं कि उस के सामने से कोई शै गुज़रे ।”

इस में नमाज़ी के आगे से गुज़रने की कराहत की वजह की तरफ़ इशारा है और वोह फ़िरिश्तों का उस से करीब होना है लिहाज़ा आगे से गुज़रने वाला नमाज़ी और उस पर मुकर्रर फ़िरिश्तों के दरमियान दख़ल अन्दाज़ होता है ।

(شرح جامع ترمذی، 3/280، تحت الحديث: 336 بغیر قلیل)

लोग नमाज़ी के आगे से क्यूं गुज़रते हैं ?

जिन खुशनसीब मुसलमानों के घर में मज़हबी रुज़्हान होता है उन के बारे में कहा जाए तो शायद मुबालगा न हो कि वोह ना समझ छोटे बच्चों को भी नमाज़ी के आगे से गुज़रने से मना करते हैं जो कि एक अच्छी आदत है ताकि बच्चे को बचपन से ही इस बात का इल्म हो कि नमाज़ी के आगे से नहीं गुज़रना चाहिए । हो सकता है बाज़ लोग ऐसे भी हों जिन को जवानी या बुढ़ापे में भी इस दीनी मस्अले का इल्म न होता हो कि “नमाज़ी के आगे से गुज़रना गुनाह है” इस लिए वोह इस गुनाह में पड़ जाते होंगे, बाज़ लोग मस्अले का इल्म होने के बावुजूद भी ग़फ़लत और बे परवाई का मुज़ाहरा करते हुए नमाज़ पढ़ने वाले के आगे से गुज़र जाते हैं जब कि बाज़ लोग जल्दबाज़ी के सबब इस गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं । जुमुआ, ईदैन, रमज़ानुल करीम में या जिन मसाजिद में नमाज़ियों का रश (Rush) होता है वहां लोग مَعَادَالله एक नहीं बल्कि कई कई नमाज़ियों के आगे से गुज़र कर न जाने कितने गुनाहों के मुजरिम बनते चले जाते हैं । अगर आप से भी कभी येह गुनाह हो गया हो तो आगे पढ़ने से पहले अभी अभी अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा कर लीजिए और अगर याद न हो कि कभी नमाज़ी के आगे से गुज़रे हैं या नहीं तो भी इस तरह कहने में हरज नहीं कि “अल्लाह पाक !

अगर मुझ से कभी जान बूझ कर नमाज़ी के आगे से गुज़रने का गुनाह हुवा हो तो इस से बल्कि अपने सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ।”

नमाज़ पढ़ने वाले के लिए सुन्नत

सब को चाहिए कि नमाज़ी के आगे से गुज़रने से बचें, अगर गुज़रना ज़रूरी हो तो सुतरे का इन्तिज़ाम करें (बाज़ मसाजिद में सुतरे रखे होते हैं येह अच्छी बात है) वरना निकलने का और कोई रास्ता न हो तो थोड़ा सा इन्तिज़ार कर लीजिए। इस शरई मस्अले पर अमल करने की वजह से इन्तिज़ार करने पर भी अल्लाह पाक की रहमत से सवाब मिलेगा। शरीअत ने नमाज़ी को नमाज़ शुरू करने से पहले अपने आगे सुतरा रखने की तरगीब इरशाद फ़रमाई है ताकि लोगों के गुज़रने का ख़तरा कम से कम हो लिहाज़ा नमाज़ पढ़ने वाले को चाहिए कि अपने सामने सुतरा रख कर नमाज़ अदा करे। नमाज़ पढ़ने वाले को येह भी चाहिए कि लोगों के आने जाने के रास्ते में नमाज़ न पढ़ें बल्कि किसी सुतून या सुतरे की आड़ में पढ़ें ताकि अन्जाने में भी कोई सामने से न गुज़रे।

उलमाए किराम ने लोगों के आने जाने के रास्तों पर नमाज़ पढ़ने वाले और नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाले दोनों के गुनाहगार होने की वजह येह इरशाद फ़रमाई है कि नमाज़ी गुज़रने वाले को रोकने में कोताही करे या फिर वोह लोगों के आने जाने की जगह रास्ते में नमाज़ अदा करे।

(شرح الزرقانی علی الموطأ امام مالک، 1/464، تحت الحديث: 363)

नमाज़ पढ़ने वाला अच्छी निय्यत के साथ किसी सुतून या सुतरे की आड़ में नमाज़ पढ़े तो उसे “शरई मस्अले पर अमल का सवाब हासिल होगा।” (फ़तावा रज़विय्या, 19/658) लेकिन अगर कोई रास्ते में या सुतरे के बग़ैर नमाज़ पढ़े तो भी आगे से गुज़रने वाले को इजाज़त नहीं कि वोह बग़ैर सुतरे के इस के आगे से गुज़रे।

नमाज़ी की तरफ़ मुंह करना कैसा ?

जमाअत खत्म होने के बाद जल्दी पीछे निकलने या नमाज़ी के आगे से गुज़रने से बचने के लिए बाज़ लोग नमाज़ पढ़ने वाले की तरफ़ मुंह कर के खड़े हो जाते हैं ताकि येह सलाम फेरे तो निकलूं इस तरह नमाज़ी के सामने मुंह कर के खड़े होना भी गुनाह है। (बहारे शरीअत, 1/626, हिस्सा : 3)

इस गुनाह से बचने का तरीका येह है कि आप सीधी या उल्टी करवट के रुख खड़े हो जाएं ताकि आप का चेहरा नमाज़ पढ़ने वाले की तरफ़ न रहे या फिर नमाज़ी की जानिब पीठ कर के खड़े रहें जब वोह सलाम फेर दे फिर पीछे चले जाएं।

शैतानी वस्वसा

हो सकता है येह दीनी मसाइल पढ़ या सुन कर कोई बोल दे कि यार ! दीन में इतनी सख्ती नहीं है। इस शैतानी वस्वसे का जवाब येह है कि दीन में “इतनी” नहीं “बिल्कुल” भी सख्ती नहीं बल्कि दीन में आसानी है लेकिन मनमानी नहीं। अल्लाह पाक पारह 3 सूरतुल बकरह की आयत नम्बर 286 में इरशाद फ़रमाता है : ﴿لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ तर्जमए कन्ज़ुल इरफ़ान : अल्लाह किसी जान पर उस की ताक़त के बराबर ही बोझ डालता है।

अगर कोई खुद दीनी मसाइल न सीखे, जब मुफ़्तियाने किराम, उलमाए किराम (كَثْرُ هُمْ) यानी अल्लाह पाक उन की तादाद बढ़ाए) हम तक दुरुस्त दीनी अहकाम पहुंचाएं तो येह कह दे कि “दीन में इतनी सख्ती नहीं” येह शैतानी वस्वसा है। दुनिया भर में ट्रैफ़िक के जो उसूल (Ruls) हैं वोह बहुत ज़ियादा हैं और जहां क़ानून पर बाकाइदा अमल होता है वहां कोई इन रूल्स के ख़िलाफ़ बोलने का सोच भी नहीं सकता, आख़िर उस वक़्त येह वस्वसा क्यूं नहीं आता कि यार ! इतनी सख्ती क्यूं ? बल्कि अगर कोई सलीमुल फ़ितरत (यानी अक़्लमन्द) शाख्स

गौर करेगा तो येही फ़ैसला करेगा कि इन उसूलों की पाबन्दी में हमारी अपनी जान की हिफ़ाज़त है। ट्रैफ़िक क़वानीन की पाबन्दी जिस्मानी हिफ़ाज़त का ज़रीआ है जब कि दीनी अहकामात की पाबन्दी जिस्मानी और रूहानी हिफ़ाज़त का ज़रीआ है और इन पर अमल करने वाला दुनिया व आख़िरत में कामयाब है।

किसी भी मुल्क का वीज़ा लेने के लिए उस मुल्क के रूल्स को फ़ॉलो करना ज़रूरी होता है वरना वोह मुल्क वीज़ा देता ही नहीं और अगर पहले से दिया हो तो बसा औक्रात वीज़ा कैंसिल कर देता है तो अगर मुल्के अदन (यानी जन्नत) में जाना चाहते हैं तो अल्लाह पाक के प्यारे दीने इस्लाम के अहकामात और उस के प्यारे प्यारे आख़िरी नबी मक्की मदनी मुहम्मदे अरबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की अह्दादीसे मुबारका को दिलो जान से मानना और इन पर अमल करना होगा कि अल्लाह पाक और उस के प्यारे और आख़िरी नबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के बताए हुए रास्ते पर चल कर ही जन्नत में दाख़िल हुवा जा सकता है। ऐ अल्लाह पाक ! हमें ख़ैर से जन्नतुल फ़िरदौस में अपने प्यारे और आख़िरी नबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का पड़ोस नसीब फ़रमा। اٰمِيْنَ بِجَاوِزَاتِهِمُ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ
क्या ख़ूब लिखते हैं :

मुफ़्तिसो उन की गली में जा पड़ो बागे ख़ुल्द इकराम हो ही जाएगा

(हदाइके बख़्शिश, स. 41)

शर्हे कलामे रज़ा : ऐ ग़रीबो ! बे सहारो ! ग़म के मारो ! नबिय्ये रहमत صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के दामने करम को अच्छी तरह मज़बूती से थाम लो, इस की बरकत से तुम्हारा जन्नत में दाख़िला हो ही जाएगा। اِنْ شَاءَ اللهُ

क्या नमाज़ी के आगे से बिल्कुल भी नहीं गुज़र सकते ?

प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! ऐसा नहीं है कि “नमाज़ी के आगे से बिल्कुल भी नहीं गुज़रा जा सकता”, हमारे प्यारे प्यारे दीने इस्लाम ने जहां हमें नमाज़ी के सामने से गुज़रने से मना फ़रमाया है वहीं नमाज़ी के आगे से गुज़रने का दुरुस्त तरीका भी इरशाद फ़रमाया है।

नमाज़ी के आगे से गुज़रने के अहम मसाइल याद रखने के लिए सुवाल जवाब की सूत में पेश किए जा रहे हैं। इन्हें ग़ौर से पढ़िए अगर कोई मस्अला समझ में न आए तो खुद से मस्अले को हल करने के बजाए अपनी क़रीबी दारुल इफ़ता अहले सुन्नत में मुफ़ती साहिब की खिदमत में हाज़िर हो कर पूछ कर इस हुक्मे कुरआनी : (پ 14، اخل: 43) ﴿فَسَلُّوْا اَهْلَ الدِّمْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ﴾ तर्जमए कन्ज़ुल इरफ़ान : “ऐ लोगो ! अगर तुम नहीं जानते तो इल्म वालों से पूछो।” पर अमल कीजिए।

सुतरे के बारे में सुवाल जवाब

सुवाल सुतरा (Barrier, Sutra) किसे कहते हैं ?

जवाब सुतरा के लुग़वी माना हैं : छुपाने वाली चीज़ यानी आड़। शरीअत में “सुतरा वोह चीज़ है जो नमाज़ी अपने सामने रखे ताकि उस सुतरे के पीछे से लोग गुज़र सकें।” (मिरआतुल मनाजीह, 2/1)

सुवाल क्या नबिय्ये पाक ﷺ ने सुतरा इस्तिमाल फ़रमाया है ?

जवाब जी हां ! नबिय्ये पाक ﷺ ने भी सुतरा इस्तिमाल फ़रमाया है। जैसा कि हज़रते अबू जुहैफ़ा رَضِيَ اللهُ عَنْهُ फ़रमाते हैं : मैं ने रसूलुल्लाह ﷺ को चमड़े के सुर्ख़ ख़ैमे में देखा और मैं ने हज़रते बिलाल रَضِيَ اللهُ عَنْهُ को देखा कि उन्होंने ने हुज़ूर (ﷺ) के वुजू का पानी निकाला

तो लोग जल्दी जल्दी उसे ले रहे हैं, जो उस में से कुछ पा जाता उसे (मुंह और सीने पर) मल लेता और जो नहीं पाता वोह किसी और के हाथ से तरी ले लेता, फिर हज़रते बिलाल رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ने एक नेज़ा गाड़ दिया और रसूलुल्लाह صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ सुर्ख (धारीधार) जोड़ा पहने तशरीफ़ लाए और नेज़े की तरफ़ मुंह कर के दो रकअत नमाज़ पढ़ाई और मैं ने आदमियों और जानवरों को नेज़े के उस तरफ़ से गुज़रते देखा ।

(मुसलम, स 203, حدیث: 1120)

सुवाल नमाज़ी के सामने सुतरा रखने का क्या हुक्म है ?

जवाब जहां से किसी के गुज़रने का अन्देशा हो तो वहां नमाज़ी को अपने आगे सुतरा रखना मुस्तहब है । फ़िक्हे हनफ़ी की मशहूर किताब “तन्वीरुल अबसार” में है : “इमाम और अकेले में नमाज़ पढ़ने वाला जब सहरा में या किसी ऐसी जगह नमाज़ पढ़े, जहां से लोगों के गुज़रने का अन्देशा हो तो मुस्तहब है कि सुतरा गाड़े ।”

(तुनौर الابصار مع در مختار، 2/484)

अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी, मक्की मदनी मुहम्मदे अरबी صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इरशाद फ़रमाया : तुम में से हर शख्स को चाहिए कि अपनी नमाज़ में सुतरा रखने का एहतिमाम करे, चाहे वोह एक तीर ही क्यूं न हो ।

(मुसलम, स 203, حدیث: 1120) एक और हदीसे पाक में है : जब तुम में से कोई शख्स नमाज़ पढ़े तो उसे चाहिए कि वोह अपने सामने सुतरा रख कर नमाज़ पढ़े ।

(अबुन माज, 1/510, حدیث: 954 مختفراً)

सुवाल जहां नमाज़ी को सामने से किसी के गुज़रने का गुमान हो वहां सुतरा न रखना कैसा ?

जवाब जहां भी गुज़रने का ख़तरा हो वहां सुतरा न रखना मकरूहे तन्ज़ीही (यानी ना पसन्दीदा काम) है ।

(तुनौर الابصار مع در مختار و رد المحتار، 2/487)

सुवाल अगर सामने से गुज़रने का गुमान न हो तो क्या फिर भी सुतरा रखना ज़रूरी है ?

जवाब जी नहीं ! जब आने जाने वालों का अन्देशा न हो और न सामने रास्ता हो तो सुतरा न रखने में हरज नहीं, फिर भी बेहतर है कि सुतरा रख लिया जाए ।

(تنوير الابصار مع در مختار و رد المحتار، 2/487)

सुवाल नमाज़ी के आगे सुतरा रख कर नमाज़ पढ़ने से क्या फ़ायदा हासिल होता है ?

जवाब सुतरा रख कर नमाज़ पढ़ने से नमाज़ में शैतान रुकावट नहीं बनेगा । मुसलमानों के दूसरे खलीफ़ा हज़रते सय्यिदुना उमर फ़ारूक़े आज़म رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ने इरशाद फ़रमाया : “जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़े तो सुतरा रख कर पढ़े, इस तरह शैतान उस के और उस की नमाज़ के दरमियान रुकावट नहीं बनेगा ।”

(مصنف عبد الرزاق، 2/7، حديث: 2307 مختصراً)

फ़ारूक़े आज़म का अपना अमल मुबारक

मुसलमानों के दूसरे खलीफ़ा हज़रते उमर फ़ारूक़े आज़म رَضِيَ اللهُ عَنْهُ अपने सामने बतौर सुतरा नेज़ा गाड़ लेते । जैसा कि हज़रते सय्यिदुना अस्वद رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ से रिवायत है : बसा औक्रात हज़रते सय्यिदुना उमर फ़ारूक़े आज़म رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ज़मीन में बतौर सुतरा नेज़ा गाड़ लेते ।

(مصنف عبد الرزاق، 2/6، حديث: 2319 مختصراً)

बग़ैर सुतरा नमाज़ी के आगे से गुज़रना

सुवाल बग़ैर सुतरा नमाज़ी के आगे से गुज़रना कैसा ?

जवाब नमाज़ी अगर मकान या छोटी मस्जिद में नमाज़ अदा कर रहा हो तो नमाज़ी के क़दम से ले कर दीवार क़िब्ला तक बग़ैर सुतरे के आगे से गुज़रना जाइज़ नहीं, और अगर सेहरा या बड़ी मस्जिद (जैसे मस्जिदे अक्सा, मस्जिदे नबवी शरीफ़

और मस्जिदे हुराम शरीफ़) में नमाज़ पढ़ रहा हो तो नमाज़ी के क़दम से “मौज़ए सुजूद” (उस की वज़ाहत अगले सुवाल में मौजूद है) तक बग़ैर सुतरे के गुज़रना **ना जाइज़ है** ।

(बहारे शरीअत, 1/615, हिस्सा : 3 तस्हीलन)

मस्जिदैने करीमैन यानी मस्जिदुल हुराम शरीफ़ और मस्जिदे नबवी शरीफ़ के इलावा आज कल आम मसाजिद जो हिन्द, बंगलादेश वग़ैरा में हैं वोह मस्जिदे सगीर (यानी छोटी मस्जिद) ही के हुक्म में हैं, अगर्चे बाज़ मसाजिद के मुतअल्लिक लोग बड़ी मस्जिद का लफ़्ज़ इस्तिमाल करते हैं, लेकिन वोह (नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाले मस्अले के एतिबार से) बड़ी मस्जिद में शामिल नहीं ।

सुवाल मौज़ए सुजूद से क्या मुराद है ?

जवाब मौज़ए सुजूद से मुराद येह है कि क्रियाम में निगाहों को सज्दे की जगह पर जमाया जाए तो निगाहें जितनी दूर तक की जगह का इहाता करें, वोह सब जगह मौज़ए सुजूद है और येह इमामे अहले सुन्नत, सय्यिदी आला हज़रत رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ के बयान कर्दा तजरिबे के मुताबिक़ नमाज़ी के आगे तक़रीबन तीन गज तक का एरिया बनता है । उस के अन्दर अन्दर तक बग़ैर सुतरे के नमाज़ी के आगे से गुज़रना बिल्कुल जाइज़ नहीं, इस से बाहर सहारा और बड़ी मसाजिद में गुज़रने की इजाज़त है, लेकिन मकान और मस्जिदे सगीर (यानी छोटी मस्जिद) में दीवारे क़िब्ला तक सामने से नहीं जा सकता ।

(मल्फूज़ाते आला हज़रत, स. 133, तस्हीलन)

सुवाल जमाअत में सफ़ पूरी करने के लिए नमाज़ी के आगे से गुज़रना कैसा ?

जवाब सफ़ पूरी करना वाजिब है, इस लिए अगर नमाज़ी के आगे से गुज़रे बग़ैर सफ़ पूरी न हो सकती हो तो नमाज़ी के आगे से गुज़र कर सफ़ पूरी करना ज़रूरी है ।

(483/2, 2/27)

जमाअत के वक़्त अगली सफ़ में जगह ख़ाली होने के बावजूद लोग पीछे सफ़ में नमाज़ शुरू कर देते हैं, इस में भी येही हुक़म है कि उस के आगे से गुज़र कर सफ़ पूरी करे। इस में कुसूर उसी शख्स का है जिस ने ऐसी जगह नमाज़ शुरू की।

(बहारे शरीअत, 1/617, हिस्सा : 4 मफ़हूमन)

आला हज़रत رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ के इरशाद का खुलासा आसान अल्फ़ाज़ में कुछ इस तरह है कि सफ़ों में मिल कर खड़ा होना और गैप ख़त्म करना निहायत ज़रूरी और गैप रखना मम्नूअ व नाजाइज़ है यहां तक कि सफ़ पूरी करने के लिए नमाज़ी के सामने से गुज़रने की इजाज़त दी गई हालांकि नमाज़ी के आगे से गुज़रने के बारे में अहदीसे मुबारका में सख़्ती से मना फ़रमाया गया है मगर सफ़ मुकम्मल करना इस क़दर ज़रूरी काम है कि इस के लिए नमाज़ी के आगे से गुज़रने की इजाज़त दी गई है क्योंकि सफ़ों को मुकम्मल करना इस से ज़ियादा अहम और ज़रूरी है और सफ़ को ख़ाली छोड़ना सख़्त ख़राबी वाला काम है।

(फ़तावा रज़विय्या, 7/46 ता 49)

कौन कौन सी चीज़ें सुतरा बन सकती हैं और कौन सी नहीं ?

सुवाल सुतरा कैसा होना चाहिए ?

जवाब हर वोह चीज़ जो सुतरे के तौर पर इस्तिमाल की जाए उस का लम्बाई में कम अज़ कम एक ज़िराअ (यानी डेढ़ फ़िट) और मोटाई (या चौड़ाई) में एक उंगली के बराबर होना ज़रूरी है।

(फ़तावा रज़विय्या, 22/479)

बयान की गई मिक्ददार से कम साइज़ की शै सुतरा नहीं बन सकती क्योंकि जो इस से कम होगी वोह दूर से देखने वाले को नज़र नहीं आएगी, लिहाज़ा इस से मक्सूद (यानी नमाज़ी के आगे से न गुज़रना) हासिल नहीं होगा। (63/1، ر.ه)

सुवाल अगर सुतरे में बयान की गई दो शराइत में से एक पाई जाए और एक नहीं तो क्या वोह सुतरा बन सकती है मसलन किसी नमाज़ी के सामने एक उंगली से भी बारीक छड़ी (स्टिक) या कोई लकड़ी ज़मीन में गाड़ी हो, जिस की लम्बाई एक हाथ के बराबर या इस से ज़ियादा हो, तो क्या वोह सुतरे के लिए काफ़ी है ?

जवाब **जी नहीं !** ऐसी छड़ी या लकड़ी सुतरा के लिए काफ़ी नहीं और ऐसी छड़ी या लकड़ी की आड़ में नमाज़ी के आगे से गुज़रना भी जाइज़ नहीं। क्योंकि सुतरे की बयान की गई दोनों शराइत लम्बाई में कम अज़ कम डेढ़ फ़िट और मोटाई या चौड़ाई में एक उंगली के बराबर होना ज़रूरी है।

सुवाल बाज़ मसाजिद के दरवाज़ों या मस्जिद के अन्दर पार्टीशन के लिए शीशा (GLASS) लगा होता है, जो एक उंगली से बारीक होता है, ऐसी सूरत में अगर कोई नमाज़ी शीशे के पीछे नमाज़ अदा कर रहा हो तो क्या किसी शख्स के लिए उस शीशे के दूसरी तरफ़ से गुज़रना जाइज़ होगा ?

जवाब अव्वलन येह बात ज़ेहन नशीन रहे कि हर वोह चीज़ जो सुतरे के तौर पर इस्तिमाल की जाए, उस की लम्बाई कम अज़ कम डेढ़ फ़िट और मोटाई या चौड़ाई कम अज़ कम एक उंगली के बराबर होना ज़रूरी है। अब अगर मसाजिद में नस्ब शीशों पर ग़ौर किया जाए तो उन की मोटाई अगर्चे एक उंगली के बराबर नहीं होती, लेकिन उन की चौड़ाई एक उंगली से कई गुना ज़ियादा होती है और सुतरे का अस्ल मक्सूद भी उन से हासिल हो जाता है। लिहाज़ा ऐसे शीशे की आड़ में नमाज़ी के आगे से गुज़रना जाइज़ है और गुज़रने वाला गुनहगार नहीं होगा। यहाँ सुतरे की मोटाई बयान करने से मक्सूद दर हक़ीक़त उस की चौड़ाई बयान करना ही है।

सुवाल अगर कोई शख्स पर्दे के पीछे नमाज़ पढ़ रहा हो, तो क्या पर्दे के उस पार से गुज़रना जाइज़ होगा ?

जवाब जी हां ! वोह पर्दा जो ज़मीन तक लटक रहा होता है, वोह सुतरे के लिए काफ़ी है, उस की आड़ में नमाज़ी के आगे से गुज़रना जाइज़ है, क्योंकि उस की मोटाई अगर्चे उंगली के बराबर नहीं होती, लेकिन चोड़ाई उंगली से कई गुना ज़ियादा होती है और सुतरे का अस्ल मक़सूद भी उस से हासिल हो जाता है, लिहाज़ा उस के आगे से गुज़रने वाला गुनहगार नहीं होगा। (483/2، راجع إلى)

सवाल बाज़ नमाज़ी हज़रात सफ़र में हैंड बैग या स्कूल बैग अपने आगे बतौर सुतरा रख कर नमाज़ पढ़ते हैं। क्या उन के सामने से गुज़रना जाइज़ होगा ?

जवाब जिस बैग की लम्बाई डेढ़ फ़िट या उस से ज़ियादा होती है, ऐसे बैग को सुतरा बनाया जा सकता है और जो बैग लम्बाई में एक हाथ से कम होते हैं, ऐसे बैग को सुतरे के तौर पर इस्तिमाल नहीं किया जा सकता और न ही उसे रख कर नमाज़ी के आगे से गुज़रना जाइज़ है।

सवाल बाज़ मसाजिद में फ़्रेम नुमा सुतरा होता है, जिस के दोनों तरफ़ लकड़ी और ऊपर भी लकड़ी होती है, क्या शरीअत में ऐसे सुतरे का एतिबार है जब कि उस में दरमियान का हिस्सा ख़ाली होता है ?

जवाब ऐसा सुतरा सहीह है, इस का लम्बाई में कम अज़ कम डेढ़ फ़िट और मोटाई (या चौड़ाई) में एक उंगली के बराबर होना ज़रूरी है।

सवाल अगर कोई शख्स चारपाई पर एक तरफ़ बैठा हो, तो उसी चारपाई को सुतरा बना सकते हैं ?

जवाब चारपाई का जो हिस्सा नमाज़ी के सामने हो वोह एक हाथ ऊंचा हो, तो इस सूरत में उसे सुतरा बना सकते हैं अगर्चे उस पर कोई बैठा या सोया हुवा हो जब कि उस का चेहरा नमाज़ी के सामने न हो क्योंकि जान बूझ कर किसी के चेहरे के सामने नमाज़ पढ़ना मकरूहे तहरीमी और गुनाह का काम है। अलबत्ता सोए हुए शख्स के पीछे नमाज़ पढ़ने से बचने के बारे में आला हज़रत, इमामे अहले

سُـنـنـت رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرमाते हैं : “अगर कोई शख्स चारपाई पर बैठा ख्वाह लेटा है और उस (यानी नमाज़ पढ़ने वाले की) तरफ़ उस की पीठ है तो उस के पीछे जाएं नमाज़ बिछा कर नमाज़ पढ़ने में कोई हरज नहीं, इसी तरह अगर उस तरफ़ पीठ किए सो रहा है जब भी मुज़ाइका नहीं, मगर सोते के पीछे पढ़ने से एहतिराज़ (यानी बचना) मुनासिब है, दो वजह से, एक येह कि क्या मालूम उस के नमाज़ पढ़ने के दौरान वोह इस तरफ़ करवट ले और उधर (यानी नमाज़ पढ़ने वाले की तरफ़) उस का मुंह हो जाए, दूसरे मोहतमिल (यानी इम्कान) है कि सोते में उस से कोई ऐसी शै सादिर हो जिस से नमाज़ में उसे हंसी आ जाने का अन्देशा हो।”

(फ़तावा रज़विय्या, 5/346)

सुवाल क्या दरख्त, जानवर या किसी इन्सान को सुतरा बनाया जा सकता है ?

जवाब जी हां ! दरख्त, जानवर, या आदमी वगैरा को सुतरा बनाया जा सकता है। (غنية التمسلي، ص 367) मगर आदमी को इस हालत में सुतरा किया जाए जब कि उस की पीठ मुसल्ली (यानी नमाज़ पढ़ने वाले) की तरफ़ हो कि नमाज़ पढ़ने वाले की तरफ़ मुंह करना मना है। (बहारे शरीअत, 1/616, हिस्सा : 3)

सुवाल क्या तकिये को बतौर सुतरा इस्तिमाल करना दुरुस्त है ? बाज़ लोग बिस्तर पर नमाज़ पढ़ते वक़्त अपने सामने तकिया रख लेते हैं, तो क्या ऐसी सूरत में उस तकिये की आड़ से नमाज़ी के आगे से गुज़रना जाइज़ है ?

जवाब जी हां ! तकिये को बतौर सुतरा इस्तिमाल किया जा सकता है क्योंकि आम तौर पर तकिये की लम्बाई डेढ़ फुट या इस से ज़ियादा होती है लिहाज़ा अगर तकिये को खड़ा कर के रखा जाए तो उस की ऊंचाई डेढ़ फ़िट के बराबर या इस से ज़ियादा होगी तो वोह सुतरा के लिए काफ़ी है और उस की आड़ में नमाज़ी के आगे से गुज़रना जाइज़ होगा अलबत्ता अगर तकिये को लिटा कर या उस की

चौड़ाई के रख पर रखा तो उस की ऊंचाई डेढ़ फ़िट से कम रह जाने के सबब सुतरे की मिक्कदार पूरी नहीं होगी और उस के आगे से गुज़रना जाइज नहीं होगा।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

सुतरा रखने के मुतफ़रिक्क मसाइल

सुवाल नमाज़ी के आगे सुतरा रखने का दुरुस्त तरीक़ा क्या है ?

जवाब सुन्नत येह है कि नमाज़ी और सुतरे के दरमियान फ़ासिला ज़ियादा से ज़ियादा तीन हाथ हो। सुतरा बिल्कुल नाक की सीध पर न हो बल्कि सीधी या उल्टी अब्रू (Eyebrow) की सीध पर हो और सीधी अब्रू की सीध पर होना अफ़ज़ल है।

(485/2، دُرَر)

सुतरा कहां रखें

सहाबिए रसूल हज़रते मिक्कदार رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ फ़रमाते हैं : मैं ने रसूलुल्लाह صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को लकड़ी या सुतून या दरख्त की तरफ़ नमाज़ पढ़ते न देखा मगर आप उसे अपनी दाहनी या बाईं अब्रू के सामने रखते थे और बिल्कुल उस के सामने न होते थे।

(ابوداؤد، 1/273، حديث: 693)

शर्ह हदीस : सुतरे को नाक की सीध में न रखते ताकि बुतपरस्तों की मुशाबहत न हो जाए क्योंकि वोह पूजा के वक़्त बुत बिल्कुल सामने रखते हैं। फ़ुक्कहा फ़रमाते हैं कि सुतरा नमाज़ी के सामने न हो बल्कि क्रदरे दाएं बाएं हटा हो, इस मस्अले का माख़ज़ येह हदीस है।

(मिरआतुल मनाज़ीह, 2/8)

सुवाल अगर नमाज़ पढ़ने वाला शाख्स ऊंचाई पर हो तो क्या उस के सामने से गुज़र सकते हैं ?

जवाब अगर नमाज़ पढ़ने वाला इतनी ऊंचाई पर हो कि सामने से गुज़रने वाले के जिस्म का कोई उज़्व (Body Part) नमाज़ी के सामने न आए तो उस के सामने

से गुज़रना जाइज़ है, और अगर किसी भी उज़्व का सामना हो तो गुज़रना जाइज़ नहीं।
(बहारे शरीअत, 1/615, हिस्सा : 3)

सुवाल कहा जाता है कि इमाम का सुतरा मुक्तदी के लिए भी काफ़ी है, इस की क्या हक़ीक़त है ?

जवाब इमाम का सुतरा मुक्तदी के लिए भी सुतरा है, मुक्तदी को नए या अलग से सुतरे की ज़रूरत नहीं, इस सूरत में अगर छोटी मस्जिद में भी जमाअत में मुक्तदी के आगे से गुज़र जाए जब कि इमाम के आगे से न हो हरज नहीं।
(487/2, (جواب)) लेकिन बिला वजह मुक्तदी के आगे से न गुज़रिए।

सुवाल अगर कोई शख्स जमाअत से नमाज़ पढ़ रहा हो और उस का वुजू टूट जाए तो वोह सफ़ से बाहर जाने के लिए नमाज़ी के आगे से गुज़र सकता है ?

जवाब जिस शख्स का नमाज़ में वुजू टूट जाए तो उस के लिए मुस्तहब है कि अपनी नाक पकड़े और सर झुकाए, सफ़ से बाहर हो जाए, अब चाहे तो सफ़ों के आगे से गुज़रता हुवा चला जाए या सफ़ों को चीरता हुवा पीछे चला जाए, इस सूरत में नमाज़ी के आगे से गुज़रना नहीं कहलाएगा क्यूंकि इमाम का सुतरा, मुक्तदियों के लिए भी सुतरा होता है।

सुवाल येह जो कहा गया है कि इमाम का सुतरा मुक्तदी के लिए काफ़ी है, तो मस्बूक़ जब अपनी नमाज़ पूरी करने के लिए खड़ा होगा, तो क्या उस के सामने भी सुतरा रखना ज़रूरी है ? वोह भी तो मुक्तदी है।

जवाब अव्वलन येह बात याद रखिए कि मस्बूक़ (यानी वोह मुक्तदी जो जमाअत की इब्तिदा में इमाम के साथ शामिल न हो सका और उस की एक या ज़ियादा रकअतें फ़ौत हो गईं) सिर्फ़ उस वक़्त तक मुदरिफ़ (यानी वोह मुक्तदी जो शुरूअ से इमाम के साथ जमाअत में शामिल है) की तरह है जब तक वोह इमाम के साथ नमाज़ अदा कर रहा हो, लिहाज़ा नमाज़ शुरूअ करते वक़्त मस्बूक़ पर

अलग से सुतरा रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस वक़्त इमाम का सुतरा ही मस्बूक के लिए भी काफ़ी होता है। अलबत्ता जब इमाम सलाम फेर दे और मस्बूक अपनी बाक़ी रकअतें अदा करने के लिए खड़ा हो जाए, तो अब वोह मुन्फ़रिद (यानी तन्हा नमाज़ पढ़ने वाले) के हुक्म में होता है। लिहाज़ा इमाम के सलाम फेरने के बाद वोह इमाम के सुतरे के ताबेअ नहीं रहता, अब अगर उस के सामने से लोगों के गुज़रने का ख़तरा हो तो उस के लिए भी सुतरा रखना चाहिए और बग़ैर सुतरे उस के आगे से गुज़रना जाइज़ नहीं होगा।

सुवाल नमाज़े जनाज़ा में अगली सफ़्र में जगह ख़ाली हो और नमाज़ शुरूअ हो जाए तो क्या ऐसी सूत में सफ़्र पूरी करने के लिए मुक़्तदी के आगे से गुज़रना जाइज़ है ?

जवाब जी हां ! नमाज़े जनाज़ा में सफ़्र पूरी करने के लिए मुक़्तदियों के आगे से गुज़रना जाइज़ है, क्योंकि इमाम के आगे रखी गई मय्यित या उस की चारपाई या डोली इमाम के लिए सुतरा है और “इमाम का सुतरा मुक़्तदियों के लिए भी सुतरा शुमार होता है।” (बहारे शरीअत, 1/616, हिस्सा : 3)

सुवाल गुज़रने वाले के पास सुतरा है मगर खड़ा नहीं कर सकता तो क्या करे ?

जवाब अगर उस के पास असा (यानी स्टिक) है मगर नस्ब नहीं कर सकता तो उसे खड़ा कर के नमाज़ पढ़ने वाले के आगे से गुज़रना जाइज़ है, जब कि उस को अपने हाथ से छोड़ कर गिरने से पहले गुज़र जाए। (बहारे शरीअत, 1/617, हिस्सा : 3)

सुवाल अगर किसी शख्स ने अपनी नमाज़ अदा कर ली हो और उस के बिल्कुल पीछे कोई नमाज़ अदा कर रहा हो, तो क्या येह शख्स उठ कर दाएं बाएं जा सकता है या येह भी नमाज़ी के आगे से गुज़रना कहलाएगा ?

जवाब अगर कोई शख्स पहले ही नमाज़ी के आगे बैठा हो और वोह उठ कर दाएं बाएं चला जाए तो येह मना नहीं है। हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान नईमी

رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ नमाज़ी के आगे से गुज़रने के मुतअल्लिक़ एक हदीसे पाक की शरह में इरशाद फ़रमाते हैं : “इस से मालूम हुवा कि नमाज़ी के सामने बैठा रहना, या आ कर बैठ जाना, या बैठे से उठ जाना, सीधा सामने चला जाना मना नहीं बल्कि सामने की सप्त काट कर गुज़रना मना है यानी हमारे मुल्क में जुनूबन शुमालन जाना ।” (मिरआतुल मनाज़ीह, 2/10) अलबत्ता एक मरतबा साइड पर होने के बाद दोबारा नहीं गुज़र सकता क्यूंकि अब येह नमाज़ी के आगे से गुज़रना कहलाएगा ।

(मदनी मुजाकरा : 28 जुमादल उखरा 1441 हि. 22 फ़रवरी 2020)

सवाल अगर दो शख्स नमाज़ी के आगे से गुज़रना चाहते हैं, और सुतरा न हो तो क्या करें ?

जवाब अगर दो शख्स गुज़रना चाहते हैं और सुतरे के लिए कोई चीज़ नहीं तो उन में एक नमाज़ी के सामने उस की तरफ़ पीठ कर के खड़ा हो जाए और दूसरा उस के आगे से गुज़र जाए फिर वोह दूसरा उस की पीठ के पीछे नमाज़ी की तरफ़ पुश्त कर के खड़ा हो जाए और येह गुज़र जाए फिर वोह दूसरा जिधर से उस वक़्त आया उसी तरफ़ हट जाए ।

(رد المحتار، 2/483)

सवाल नमाज़ी के आगे से गुज़रना गुनाहे सगीरा है या कबीरा ?

जवाब नमाज़ी के सामने से बग़ैर सुतरे के गुज़रना मकरूहे तहरीमी, ना जाइज़ और गुनाहे सगीरा (यानी छोटा गुनाह) है और अगर नमाज़ी के सामने सुतरा मौजूद हो, उस के बावुजूद कोई शख्स जान बूझ कर सुतरे और नमाज़ी के दरमियान से गुज़रे तो येह सख्त मकरूह व गुनाह होगा, जैसा कि मशहूर फ़कीह व मुहद्दिस हज़रते अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हनफ़ी رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ लिखते हैं : नमाज़ पढ़ने वाला इमाम हो, मुन्फ़रिद (यानी अकेला नमाज़ पढ़ रहा) हो या सुतरे की तरफ़ रुख कर के कोई नमाज़ पढ़ रहा हो, तीनों सूरतों में नमाज़ी के सामने से गुज़रना, मकरूह

(तहरीमी) है, अलबत्ता इन सब सूरतों में सख्त हुक्म उस सूरत का है कि कोई शख्स सुतरे और नमाज़ी के दरमियान से गुज़रे। (عمدة القاری، 2/98، تحت الحديث: 76) और उलमाए किराम ने वज़ाहत फ़रमाई कि हर मकरूहे तहरीमी गुनाहे सगीरा है। हां ! अगर कोई शख्स उस की आदत बना ले तो येह सगीरा गुनाह, कबीरा गुनाह (यानी बड़ा गुनाह) बन जाएगा क्यूंकि सगीरा पर इसरार (यानी बार बार करना) उसे कबीरा बना देता है (رد المحتار، 2/182-الحیطة البرہانی، 10/180، 181) और अगर येह सोच करे कि छोटा गुनाह ही है ना ? तो येह सख्त बड़ा गुनाह हो जाएगा। बाज़ उलमाए किराम ने नमाज़ी के सामने से बग़ैर सुतरे के गुज़रने को कबीरा (यानी बड़ा गुनाह) भी इरशाद फ़रमाया है, जैसा कि इमाम ज़हबी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ने अपनी किताब “किताबुल कबाइर” में बाज़ गुनाहों के कबीरा (यानी बड़ा गुनाह) होने का गुमान किया है, इस में आप ने “नमाज़ी के आगे से गुज़रना” भी लिखा है।

(کتاب الکبائر للزہبی، ص 279)

ध्यारे ध्यारे इस्लामी भाइयो ! बुज़ुर्गानि दीन رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم फ़रमाते हैं कि गुनाह के मुआमले में येह न देखो कि येह सगीरा (यानी छोटा) है या कबीरा (यानी बड़ा) बल्कि येह देखो कि येह ना फ़रमानी किस की है लिहाज़ा जब येह तसव्वुर होगा तो अल्लाह पाक की रहमत से किसी गुनाह की तरफ़ ज़ेहन नहीं जाएगा जिस तरह बड़े से बड़े स्टोर को बाज़ औकात एक तीली भी जला सकती है ऐसे ही बज़ाहिर एक छोटा नज़र आने वाला गुनाह भी जहन्नम में पहुंचा सकता है। ऐ अल्लाह पाक ! हमें हमेशा अपनी ना फ़रमानी वाले कामों से महफूज़ फ़रमा।

اٰمِيْن بِجَاہِ خَاتِمِ النَّبِيِّیْنَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

जूंही गुनाह करने लगूं, तेरे ख़ौफ़ से

फ़ौरन उठूं मैं थर थरा या रब्बे मुस्तफ़ा

(वसाइले बख़्शिश, स. 132)

सुवाल अगर औरत नमाज़ पढ़ रही हो और उस के आगे से कोई गुज़रना चाहे तो वोह कैसे रोके ?

जवाब औरत के सामने से कोई गुज़रे तो औरत तस्फ़ीक़ से रोके (यानी सीधे हाथ की उंगलियां उल्टे की पुश पर मारे) और अगर मर्द ने तस्फ़ीक़ की और औरत ने **سُبْحَنَ اللّٰه** कहा तो भी (नमाज़) नहीं टूटेगी मगर ख़िलाफ़े सुन्नत हुआ।

(رد المحتار، 2/486-487)

औरत की आवाज़ भी औरत है

फ़िक्हहे हनफ़ी के मशहूर आलिमे दीन हज़रते अल्लामा हसन बिन अम्मार अल मिस्री **رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ** अपनी किताब “नूरुल ईज़ाह” में नमाज़ पढ़ने वाले के आगे से गुज़रने पर औरत का तस्बीह के बजाए तस्फ़ीक़ करने की वजह बयान करते हुए फ़रमाते हैं : “औरत तस्बीह करने से बचे क्यूंकि इस तरह उस की आवाज़ बुलन्द होगी और औरत की आवाज़ भी महल्ले फ़ित्ना है।”

(نور الايضاح مع مراقى الفلاح، ص 188)

इस से वोह औरतें दर्से इब्रत हासिल करें जो ख़रीदारी, महल्लेदारी वग़ैरा में ग़ैर मर्दों से बे तकल्लुफ़ी के साथ गुफ़्तगू करती हैं। औरत को घर की चार दीवारी में भी आहिस्ता आवाज़ निकालनी चाहिए ताकि दरवाज़े के बाहर वाले लोग या पड़ोसी वग़ैरा न सुनने पाएं। बच्चों पर भी गरजते बरसते वक़्त येही एहतियात रखें।

हज़रते मुफ़्ती अमहद यार ख़ान **رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ** फ़रमाते हैं : अफ़सोस ! उन औरतों पर जो गा बजा कर अपनी आवाज़ें ग़ैरों को सुनाएं। ख़याल रहे कि अगर नमाज़ी औरत का महरम भी उसे पुकारे या सामने से गुज़रने लगे तब भी औरत हाथ पर हाथ ही मारेगी, क्यूंकि उस के लिए क़ानून ही येह हो गया।

(मिरआतुल मनाजीह, 2 /134-135)

दे दे पर्दा बहू बेटियों को माओं बहनों सभी औरतों को
हम सभी को हक़ीक़ी हया की मेरे मौला तू ख़ैरात दे दे

(वसाइले बख़्शिश, स. 132)

सुवाल अगर कोई शख्स नमाज़ी के आगे से गुज़र रहा हो तो क्या इसे आड़ बना कर दूसरा शख्स गुज़र सकता है ?

जवाब एक शख्स नमाज़ी के आगे से गुज़रना चाहता है अगर दूसरा शख्स उसी को आड़ बना कर उस के चलने की रफ़्तार के ऐन मुताबिक़ उस के साथ ही साथ गुज़र जाए तो पहला शख्स गुनाहगार हुवा और दूसरे के लिए येही पहला शख्स सुतरा भी बन गया ।

नोट : जवाब, सुवाल के मुताबिक़ पेश किया गया है, अलबत्ता अगर कोई शख्स जान बूझ कर नमाज़ी के आगे से गुज़र रहा हो और हमें मालूम है कि हम गुज़रने वाले को समझाएंगे तो वोह मान लेगा ऐसी सूत में उसे नेकी की दावत दे कर समझाना चाहिए कि अब हम पर समझाना वाजिब (यानी ज़रूरी) है अगर नहीं समझाएंगे तो गुनाहगार होंगे ।

तवाफ़ व सई के दौरान नमाज़ी के आगे से गुज़रने का मस्अला

सुवाल क्या तवाफ़ और सई के दौरान मत्ताफ़ (यानी तवाफ़ करने की जगह) और मस्अ (यानी सफ़ा व मरवा का दरमियानी हिस्सा जहां लोग सई करते हैं उस) में नमाज़ पढ़ने वालों के आगे से बग़ैर सुतरे के गुज़र सकते हैं ?

जवाब मत्ताफ़ और मस्अ में कई लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, दौराने तवाफ़ नमाज़ी के आगे से गुज़रना जाइज़ है कि तवाफ़ भी नमाज़ ही की तरह है मगर दौराने सई गुज़रना जाइज़ नहीं । ऐसे मौक़े पर रुक कर नमाज़ी के सलाम फेरने का इन्तिज़ार कर लीजिए । हां किसी गुज़रने वाले को आड़ बना कर गुज़र सकते हैं ।

सुवाल एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा है जब कि उस के सामने अगली सफ़्र में बैठा शख्स नमाज़ से फ़ारिग हो चुका है क्या येह किसी को नमाज़ पढ़ने वाले के सामने से गुज़ारने के लिए अपना हाथ बतौरै सुतरा (यानी रुकावट) उस के आगे कर सकता है ?

जवाब अगर वोह बैठा हुवा शख्स अपना हाथ इस तरह नमाज़ी के आगे करे कि चेहरा नमाज़ी की तरफ़ न हो बल्कि एक सुतरे जितना हाथ खड़ा कर दे तो अब गुज़रने वाले का गुज़रना दुरुस्त होगा ।

सुतरे के मुतअल्लिक़ बाज़ ग़लत़ फ़हमियां

सुवाल अगर ग़लती से कोई शख्स नमाज़ी के आगे से गुज़र जाए तो उस का क्या हुक्म है, क्या वोह गुनाहगार होगा ?

जवाब जी नहीं ! अगर कोई शख्स ग़लती से ला इल्मी में नमाज़ी के आगे से गुज़र गया, तो वोह गुनाहगार नहीं होगा । (فتاویٰ جمعیہ، 2/25)

सुवाल अवाम में मशहूर है कि अगर कोई शख्स बग़ैर सुतरे के नमाज़ी के आगे से गुज़र जाए तो नमाज़ टूट जाती है क्या येह बात दुरुस्त है ?

जवाब नमाज़ी के आगे से गुज़रने के सबब नमाज़ी की नमाज़ में कोई हरज नहीं आता और न ही नमाज़ टूटती है । बहारे शरीअत में है : “नमाज़ी के आगे से बल्कि मौज़ए सुजूद से किसी का गुज़रना नमाज़ को नहीं तोड़ता, ख्वाह गुज़रने वाला मर्द हो या औरत, कुत्ता हो या गधा ।” (बहारे शरीअत, 1/614, हिस्सा : 3)

सुवाल बाज़ औक्रात देखा गया है कि कोई शख्स भूल कर नमाज़ी के आगे से गुज़र जाता है । जब कोई उसे मुतवज्जेह करे या रोकने की कोशिश करे तो वोह अपने ग़लती का इज़ाला करने के ख़याल से उसी रास्ते से वापस गुज़रने की

कोशिश करता है, यानी दोबारा नमाज़ी के आगे से गुज़र कर पीछे जाता है। क्या ऐसा करना दुरुस्त है ? और अगर कोई ऐसा करे तो उस पर शरअन क्या हुक्म होगा ?

जवाब नमाज़ पढ़ने वाले के आगे से बग़ैर सुतरे के जान बूझ कर गुज़रना गुनाह है लेकिन किसी की नमाज़ पढ़ने वाले की तरफ़ तवज्जोह न रही और वोह भूल कर उस के आगे से गुज़र गया तो वोह गुनहगार नहीं होगा अलबत्ता सुवाल में बयान की गई सूत के मुताबिक़ अगर वोह अपने ख़याल के मुताबिक़ अपनी ग़लती (जो कि दर अस्ल ग़लती नहीं थी क्यूंकि वोह भूल कर गुज़रा है) का इज़ाला करने के लिए अब जान बूझ कर नमाज़ी के सामने से गुज़रेगा तो गुनहगार, पहले भूल कर गुज़रने की सूत में गुनहगार नहीं हुवा था लेकिन अब अपनी ग़लत फ़हमी और दुरुस्त दीनी मस्अले का इल्म न होने के सबब गुनहगार होगा लिहाज़ा अगर कोई भूल कर नमाज़ी के आगे से गुज़र जाए तो हरगिज़ वापस न पलटे।

सुवाल बाज़ औक्रात मसाजिद में तामीराती काम होता है तो ऐसी सूत में दो पिलर्ज के दरमियान एक रस्सी बांधी जाती है और उसी रस्सी को बत्तौर सुतरा इस्तिमाल किया जाता है, जब कि रस्सी के नीचे कुछ नहीं होता। मिस्तरी वग़ैरा इस रस्सी को सुतरा समझ कर नमाज़ी के आगे से गुज़रते हैं। इस का क्या हुक्म होगा ?

जवाब दो पिलर्ज के दरमियान जो रस्सी बांधी जाती है, वोह सुतरे के लिए काफ़ी नहीं है, क्यूंकि नमाज़ी को सुतरा ज़मीन पर गाड़ने या फिर ज़मीन की सतह से बराबर खड़ा रखने का हुक्म है, न कि ज़मीन से ऊपर चौड़ाई पर रखने का।

दो पिलर्ज के दरमियान जो रस्सी बांधी जाती है वोह ज़मीन से ऊपर होती है, और रस्सी से ले कर ज़मीन तक का दरमियानी हिस्सा खाली होता है। लिहाज़ा दो पिलर्ज के दरमियान बन्धी हुई रस्सी को सुतरे के तौर पर इस्तिमाल नहीं किया जा सकता, और न ही इस के आड़ में नमाज़ी के आगे से गुज़रना जाइज़ होगा।

सुवाल क्या अपने हाथ को बतौर सुतरा इस्तिमाल किया जा सकता है ? बाज़ लोग नमाज़ी के आगे से गुज़रते वक़्त अपना हाथ नमाज़ी के सामने कर लेते हैं और येह समझते हैं कि इस से सुतरा हासिल हो गया, क्या उन का ऐसा करना जाइज़ है ?

जवाब जी नहीं ! नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाला शख्स अपने हाथ को सुतरे के तौर पर इस्तिमाल नहीं कर सकता, क्योंकि गुज़रने वाले का हाथ उस के जिस्म का एक हिस्सा है और उस के ताबेअ (Subordinate) होता है, जब कि सुतरा नमाज़ी के आगे ज़मीन में अलग से गाड़ने या ज़मीन के साथ बराबर खड़ा रखने का हुक्म है। यहां तक कि उलमाए किराम ने बयान फ़रमाया है कि अगर किसी शख्स के पास असा (स्टिक) हो लेकिन उसे ज़मीन में नस्ब करना मुम्किन न हो तो ऐसी सूरत में उसे खड़ा कर के नमाज़ पढ़ने वाले के आगे सुतरे के तौर पर रखना जाइज़ है, बशर्ते कि उसे हाथ से छोड़ कर फ़ौरन उस के गिरने से पहले उस के आगे से गुज़र जाए। (बहारे शरीअत, 1/617, हिस्सा : 3)

यहां भी वाज़ेह तौर पर असा को हाथ से छोड़ कर गुज़रने का इरशाद फ़रमाया गया है, अपने हाथ से पकड़ कर सुतरा बनाना मुराद नहीं, लिहाज़ा गुज़रने वाला अपने जिस्म के किसी हिस्से को सुतरे के तौर पर इस्तिमाल नहीं कर सकता।

सुवाल बाज़ नमाज़ियों को देखा गया है कि उन के आगे से कोई शख्स बग़ैर सुतरे के गुज़रता है तो वोह उन को हाथ से पकड़ कर रोकते हैं, क्या हालते नमाज़

में किसी को हाथ से पकड़ कर रोकना दुरुस्त है, इस से नमाज़ में तो कोई असर नहीं होगा ?

जवाब इस तरह हाथ पकड़ कर रोकना दुरुस्त नहीं, यह ग़लत तरीक़ा है, बल्कि अमले कसीर होने की सूरत में नमाज़ जाती रहेगी। उलमाए किराम ने इस का दुरुस्त तरीक़ा यह इरशाद फ़रमाया है कि तस्बीह (यानी سُبْحَانَ اللَّهِ) कह कर रोके या इशारे से रोके, बिला ज़रूरत दोनों काम न करे कि मकरूह है। (बहारे शरीअत, 1/617, हिस्सा : 3 मुलख़ख़सन) अलबत्ता आगे से गुज़रने वाले को रोकना मुस्तहब है।

इल्तिजा

हो सके तो अपनी अपनी मसाजिद में यह मुख़्तसर रिसाला “नमाज़ी के आगे से गुज़रने के मसाइल” तक्सीम फ़रमाइए। अगर इमाम व ख़तीब साहिबान जुमुआ, ईदैन या बड़ी रातों वग़ैरा में इस रिसाले से दीनी मसाइल पढ़ कर नमाज़ियों में बयान फ़रमाते रहें तो إِنَّ شَاءَ اللَّهُ इस से भी अमल का ज़ब्बा पैदा होगा। दावते इस्लामी की वेबसाइट www.dawateislamiindia.org से यह रिसाला मुफ़्त डाउनलोड कर के सोशल मीडिया के ज़रीए आम कीजिए और सवाब कमाइए।

اگلے ہفتے کا ریسالہ



DAWATE ISLAMI
INDIA



Delhi : 421, Urdu Market, Matia Mahal, Jama Masjid, **Mumbai :** 19/20, Mohammad Ali Road, Opp. Mandavi
Delhi-110006 ☎ +91-8178862570 Post Office, Mumbai-400003 ☎ +91-9320558372

Ahmedabad : Faizane Madina, Tinkonia Bagicha, **Nagpur :** Opp. Garib Nawaz Masjid, Saifi Nagar
Mirzapur, Ahmedabad-380001 ☎ +91-9327168200 Road, Mominpura, Nagpur-440018 ☎ +91-9326310099



www.maktabatulmadina.in



feedbackmmhind@gmail.com



For Home Delivery of Books Please Contact on (T&C Apply) ☎ +91-9978626025